

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उत्तर प्रदेश  
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ  
(भवन वर्ग)

16-10-07

पत्र संख्या : 127 (16/1) / 5037 (ल.न.) / 07-ज.स. लखनऊ, दिनांक : 5/10/2007

कार्यालय-ज्ञाप

सूचना का अधिनियम अभिनियम 2005 के नियम 5 व 19 की व्यवस्थानुसार निम्नलिखित अधिकारियों को राज्य लोक  
सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है :-

|   | राज्य लोक सूचना अधिनियम   | प्रथम अपीलीय अधिनियम                           |
|---|---|--|
| 1. <u>मुख्यालय स्तर पर</u>                | अधिराशी अभियन्ता<br>सूचना प्रायोगिकी खण्ड-1(सी0डी0डी-1)<br>लो0नि0वि0, लखनऊ  | मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (भवन)<br>लो0नि0वि0, लखनऊ |
| 2. <u>मुख्य अभियन्ता कार्यालय स्तर पर</u> | समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालयों में तैनात स्टाफ आफिसर   | सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता             |
| 3. <u>जिला स्तर पर</u>                    | समस्त जिलों से सम्बन्धित अधिराशी अभियन्ता प्रा0सं0, लो0नि0वि0/<br>जिन जिलों में प्रांतीय खण्ड का कार्यालय नहीं है उस जिले के निर्माण खण्ड के अधिराशी अभियन्ता | खण्ड से सम्बन्धित अपीलीय अभियन्ता              |

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

  
(त्रिभुवन राम)

प्रमुख अभियन्ता (विकास) विभागप्रमुख  
लो0नि0वि0, लखनऊ।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- सचिव, लो0नि0वि0-10, 40प्र0 शासन, लखनऊ।
  - 2- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लो0नि0वि0, लखनऊ।
  - 3- मुख्य अभियन्ता, मु0-1/मु0-2/रा0गा0/विश्व बैंक/वि0/यो0/डास्य, लो0नि0वि0, लखनऊ।
  - 4- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0, \_\_\_\_\_।
  - 5- समस्त अपीलीय अभियन्ता लो0नि0वि0, \_\_\_\_\_।
  - 6- समस्त अधिराशी अभियन्ता, लो0नि0वि0, \_\_\_\_\_ 510-3000 सि.वि.वि.
  - 7- समस्त विधि अधिनियम लो0नि0वि0 \_\_\_\_\_।
  - 8- जिला नियंत्रक, नगरीय एवं प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ।
  - 9- वरिष्ठ वास्तुविद्, लो0नि0वि0, लखनऊ।
  - 10- वैयक्तिक सहायक (वि0) लो0नि0वि0, लखनऊ।
  - 11- समस्त कार्यालय अधिका, लो0नि0वि0, लखनऊ।

श्री सुधीर सिंह 10/10/07 श्रीमती सुषमा सिंह  
मुख्य अभियन्ता स्तर-1(भवन)  
लो0नि0वि0, लखनऊ।

2. प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, लखनऊ।
3. प्रमुख अभियंता (परि०/नियो०), लो०नि०वि०, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियंता (ग्रा०/स०), लो०नि०वि०, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियंता (परियोजना), लो०नि०वि०, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियंता (भवन), लो०नि०वि०, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियंता, 31 वें वृत्त, लो०नि०वि०, लखनऊ।
8. स्टाफ आफीसर, लो०नि०वि०, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियंता (अधि०), लो०नि०वि०, लखनऊ।
10. वरिष्ठ स्टाफ आफीसर (ई०-2), लो०नि०वि०, लखनऊ।
11. वरिष्ठ स्टाफ आफीसर (ई०-3), लो०नि०वि०, लखनऊ।
12. वरिष्ठ स्टाफ आफीसर (परिवार), लो०नि०वि०, लखनऊ।
13. अधीक्षण अभियंता (दाद), लो०नि०वि०, लखनऊ।
14. अधीक्षण अभियंता (सामान्य), लो०नि०वि०, लखनऊ।
15. अधीक्षण अभियंता, 11 वें वृत्त, लो०नि०वि०, लखनऊ।
16. अधीक्षण अभियंता, 30 वें वृत्त, लो०नि०वि०, लखनऊ।
17. निदेशक अन्वेषणालय, लो०नि०वि०, लखनऊ।
18. अधिसाक्षी अभियंता, डी०डी०डी०-11, लो०नि०वि०, लखनऊ।
19. मुख्य अभियंता, \_\_\_\_\_ लो०नि०वि०, \_\_\_\_\_

जनसूचना अधिकारी  
एवं मुख्य अभियंता (परिवार)  
लो०नि०वि०, लखनऊ

प्रतिवेदन :- [कमरे] U.C.C./L.C.C./H.P./A.E./E.E./  
Store / E.C.C./E.C-2/Draftman/...

29/1/10

29/1/10

(EE)



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
जनसूचना केन्द्र  
लो0नि0वि0, लखनऊ

कार्यालय ज्ञाप सं0- 27 कैम्प/सी0ई0सी0/10

दिनांक 3 .02.2010

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता

लो0नि0वि0 उ0प्र0

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

संदर्भ:- उ0प्र0 शासन का कार्यालय ज्ञाप सं0-2609/23-10-2010 दि0 14.1.2010

संदर्भ:-

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत शासन के उक्त संदर्भित आदेश द्वारा प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लो0नि0वि0 के स्तर पर अधोहस्ताक्षरी को जन सूचना अधिकारी एवं अधीक्षण अभियन्ता, 10वीं वृत्त, भवन को सहायक जन सूचना अधिकारी भगित किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु उपरोक्त शासनादेश की छाया प्रति साथ में संलग्न की जा रही है।

इस संका में अनुरोध है कि उक्त नियमक प्रकरण से संबंधित आख्या/डफ गिन पत्र पर प्रेषित किये जाने का कष्ट करें।

1. मुख्य अभियन्ता (परिवार)/  
जन सूचना अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,  
लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 10वीं वृत्त, भवन/  
सहायक जन सूचना अधिकारी  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,  
लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता/  
जन सूचना प्रभाग  
कार्यालय भवन परिकल्पना खण्ड-1  
लो0नि0वि0, लखनऊ।

(ओ0पी0 शर्मा)  
जनसूचना अधिकारी  
एवं मुख्य अभियन्ता (परिवार)  
लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रतिनिधि: निर्गलक्षित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता रिपत समस्त मुख्य अभियन्ता, कार्यालय,  
लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (परिवार) जन सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,  
लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 10वीं वृत्त, भवन/सहायक जन सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख  
अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता/जन सूचना प्रभाग कार्यालय भवन परिकल्पना खण्ड-1, लो0नि0वि0,  
लखनऊ।

जनसूचना अधिकारी

१

उक्त जनसूचना अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित सूचनाओं का एकत्रीकरण, आवेदक को प्रेषण तथा आवश्यकतानुसार राज्य सूचना आयोग में पैरवी सम्बन्धी समस्त कार्यवाही करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

जनसूचना अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

लो0नि0वि0, लखनऊ।

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, लो0नि0अनु-10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2- प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 3- प्रमुख अभियन्ता ग्रामीण/परिकल्प एवं नियोजन, लो0नि0वि0, लखनऊ को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 4- लखनऊ में स्थित समस्त मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- सम्बन्धित कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ/रायबरेली वृत्त, लो0 नि0वि0, लखनऊ।
- 7- अधीक्षण अभियन्ता, 39वें वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 8- अधीक्षण अभियन्ता, 30वें वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 9- अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग लखनऊ वृत्त लखनऊ।
- 10- अधीक्षण अभियन्ता/एस0आर0पी0 लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 11- अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 12- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 13- अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड-1 (सिविल) लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 14- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत अनुरक्षण खण्ड-1 लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 15- अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 16- अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 17- अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 (नि0ख0-3) लो0नि0वि0, लखनऊ।

  
जनसूचना अधिकारी  
लो0नि0वि0, लखनऊ।

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता**  
**जनसूचना केन्द्र**  
**लो०नि०वि०, लखनऊ**

कार्यालय ज्ञाप संख्या 60 कैम्प/अ.सू.अ. 110  
कार्यालय-ज्ञाप

दिनांक 12.3.10

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत शासनादेश सं० 2609/23-10-2010 दिनांक 14.02.10 द्वारा प्रमुख अभियन्ता लो०नि०वि० उ०प्र० के स्तर पर अधोहस्ताक्षरी को जनसूचना अधिकारी नामित किया गया है। लो०नि०वि० के व्यापक क्षेत्र को देखते हुए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत समय से आवेदक को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु इस कार्यालय के ज्ञाप सं० 23/कैम्प/सी०ई०सी०/10 दिनांक 28.01.10 द्वारा लो०नि०वि० के विभिन्न वर्गों की सूचना हेतु सहायक जनसूचना अधिकारी नामित किए जा चुके हैं। उक्त आदेश में त्रुटिवश निम्न वर्गों का समावेश नहीं हो सका था अतः कार्य की समयबद्धता एवं आवश्यकता को देखते हुए प्रमुख अभियन्ता (विकास) महोदय की सहमति से अग्रोपरोक्त तीन कार्यालयों/वर्गों की सूचना आवेदक को समय से उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न सहायक जनसूचना अधिकारी नामित किये जाते हैं।

1. पी०एम०जी०एस०वाई कार्य अधी०अभि० (अनुश्रवण) पी०एम०जी०एस०वाई लो०नि०वि० लखनऊ।
2. लेखा सम्बन्धी कार्य मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी लो०नि०वि० लखनऊ।
3. वास्तुविद सम्बन्धी कार्य वरिष्ठ वास्तुविद (प्रथम)


उक्त सहायक जनसूचना अधिकारी आवेदक द्वारा वांछित सूचना संकलित कर उक्त अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आवेदक को प्रेषित किये जाने एवं आवश्यकतानुसार मा० राज्य सूचना आयोग में प्रकरण की पैरवी हेतु उत्तरदायी होंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

जनसूचना अधिकारी  
एवं मुख्य अभियन्ता (परिवाद)  
लो०नि०वि०, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव लो०नि०अनु-10 उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो०नि०वि० लखनऊ।
3. प्रमुख अभियन्ता (परि०/नियो०) लो०नि०वि० लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता (ग्रा०स०) लो०नि०वि० लखनऊ।
5. मुख्य वास्तुविद लो०नि०वि० लखनऊ।
6. अधी०अभि० (अनुश्रवण) पी०एम०जी०एस०वाई लो०नि०वि० लखनऊ।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी लो०नि०वि० लखनऊ।
8. वरिष्ठ वास्तुविद (प्रथम) लो०नि०वि० लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता बी०डी०डी०-1 लो०नि०वि० लखनऊ।
10. कैम्प पत्रावली।

  
जनसूचना अधिकारी  
एवं मुख्य अभियन्ता (परिवाद)  
लो०नि०वि०, लखनऊ।